(6)

Gata No- 1
Village- Madhar Mau Kala.

(14)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

877733

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

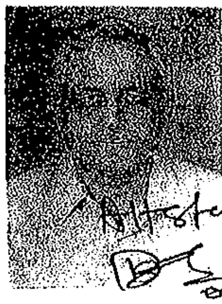

विकय विलेख

प्रतिफल की धनराशि – रू0 15,00,000/–

बाजारू मूल्य – रू0 3,19,200/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प – रू0 1,05,000/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. ग्राम – माढ़रमऊ कला

आदेश
दिनांक ...... स्टाम्प
मूल्य ......
नाम ......
द्वारा ......

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

विक्रय 1500000/- मालि० 3119,700/-

नि०शु० प्र०न० प्र०शु० योग

80001/- 10/- 10/- 80020/- 700

शारदा उर्फ शारद पुत्र/पत्नी गुरुदयाल

पेशा खेती मिर्जापुर ... मो० ...

3/7/09 1/2

3/7/09

शारदा

1500000/- प्रतिफल पाकर शारदा उर्फ शारद उक्त ... एवं ... कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० ... कॉम्पलेक्स द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी० के० दीक्षित पुत्र स्व० श्री सी० एल० दीक्षित नि० B-703 ... ने भी स्वीकार किया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. सम्पत्ति का विवरण –भूमि खसरा संख्या 1 रकबा 1.064 हे0 का 1/4 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.266 हे0, स्थित ग्राम–माढ़रमऊ कला, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.266 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है।

आदर्श .... स्टाम्प ....
दिनांक ....
मूल्य .... स्टाम्प
नाम ....
द्वारा ....

स्टा० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

[illegible]

प्रमाणित ....
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

877736

09 JUL 2009

चौहद्दी खसरा नं0 1

उत्तर : ग्राम सीमा मरत्तेमऊ

दक्षिण : खसरा नं0– 2

पूरब : खसरा नं0– 2

पश्चिम : खसरा नं0– 2

प्रथम पक्ष की संख्या– 2 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. शारदा उर्फ शरद पुत्र स्व0 गुरूदयाल, 2. श्रीमती	:	प्रसिद्धि कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– प्रथम तल,

आदर्श .... [illegible] लखनऊ

दिनांक ....

मूल्य .... 2500 .... [illegible] स्वास्थ्य

नाम ....

द्वारा ....

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गुरूदेई पत्नी स्व0 गुरूदयाल निवासी ग्राम– मिर्जापुर, मस्तेमऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।	प्रगति केन्द्र, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ–226024 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी0 के0 दीक्षित पुत्र स्व0 सी0 एस0 दीक्षित निवासी– बी–703, महानगर, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– व्यापार

यह विकय विलेख शारदा उर्फ शरद पुत्र स्व0 गुरूदयाल, श्रीमती गुरूदेई पत्नी स्व0 गुरूदयाल निवासी ग्राम– मिर्जापुर,

आदर्श .... लखनऊ

दिनांक ....

मूल्य 25000 .... स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

स० सेकिड़िया   मुख्य सेकाड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 943091

मस्तेमऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, जिन्हें आगे **विकेतागण** कहा गया है एवम् **प्रसिद्धि कान्सट्रक्सन्स प्रा० लि०, रजिस्टर्ड आफिस– प्रथम तल, प्रगति केन्द्र, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ–226024 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी० के० दीक्षित पुत्र स्व० सी० एस० दीक्षित निवासी– बी–703, महानगर, लखनऊ** जिन्हें आगे **केता** कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। क्रेता व विक्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान तथा निष्पादकगण आदि सम्मिलत है।

यह कि विकेतागण भूमि खसरा संख्या 1 रकबा 1.064 हे० का 1/4 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.266 हे0, स्थित ग्राम– माढ़रमऊ कला,

द्वारा
स्टाम्प
स्टा०

परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी कम संख्या 00044 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण को पैसा की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विकय विलेख द्वारा विकय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग या पट्टे की भूमि नही है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विकय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विकय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विकय मूल्य रू0 **15,00,000/–** (रूपया पंद्रह लाख मात्र) के प्रतिफल में जिसके आधे रू0 **7,50,000/–** (रूपया सात लाख पचास हजार मात्र) जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि को

कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नही की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण व

उसके वारिसान भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण व उसके वारिसान को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम गाढ़रमऊ कला नगर निगम से सटे एवं अति विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 **12,00,000/–** प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.266 हेक्टेअर की मालियत **3,19,200/–** होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही नियमानुसार रू0 **1,05,000/–** का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने स्वस्थ चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव के अपनी राजी व खुशी से केता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्टः भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेतागण को रू0 7,50,000/– द्वारा डी0डी0 संख्या– 006708 दिनांकित 21.07.2009 ए.बी.एच.सी. लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रू0 7,50,000/— द्वारा डी0डी0 संख्या—006707 दिनांकित 21.07.2009 [handwritten] लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य रू0 **15,00,000/—** (रूपया पंद्रह लाख मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करता है तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक: 21/07/2009

गवाह :

1. [handwritten signature]

2. [handwritten signature]

विक्रेतागण

केता

टाईपकर्ता

(लवलेन्द्र सिंह)

तह0 मोहनलालगंज, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

सिविलकोर्ट, लखनऊ

खसरा नं० 1 स्थित ग्राम- गारेगंजकला, प० तह० मोहनलालगंज
जिला - लखनऊ
रकबा - 0.266 हे०

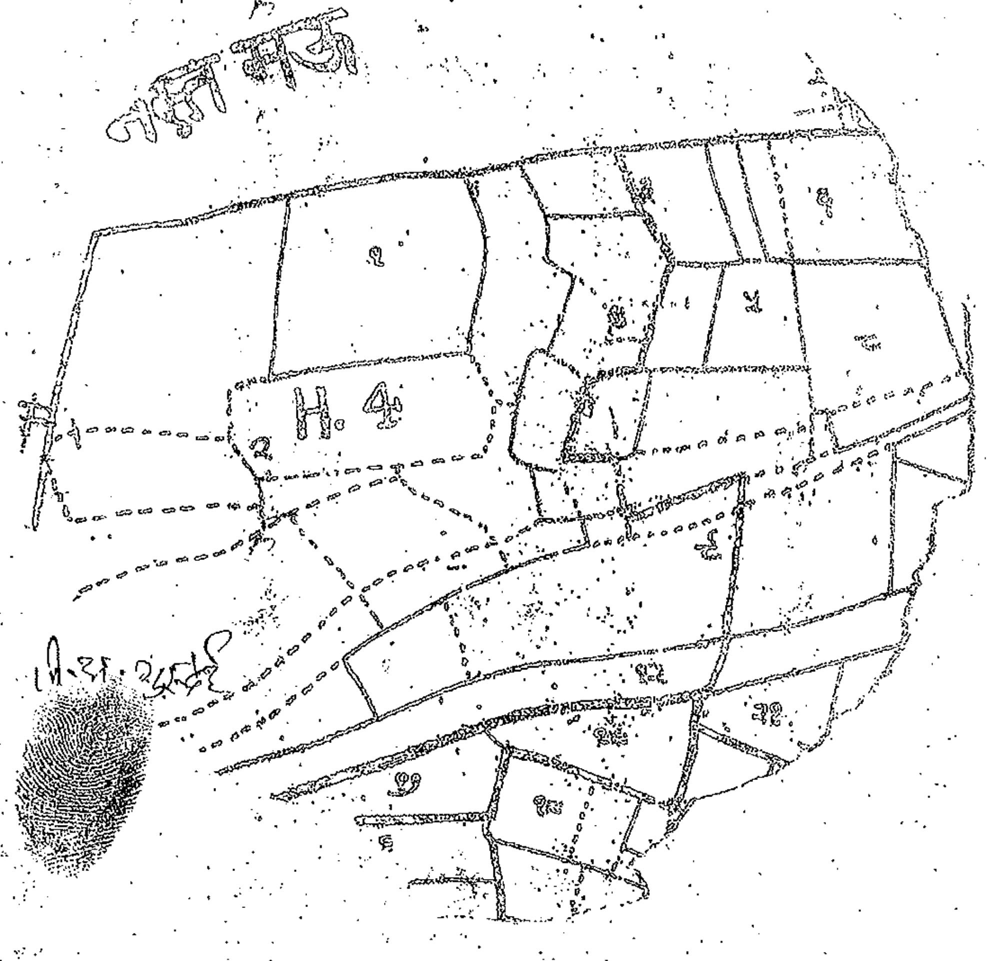

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:– शारदा उर्फ शरद पुत्र स्व0 गुरूदयाल निवासी ग्राम– मिर्जापुर, मस्तेमऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

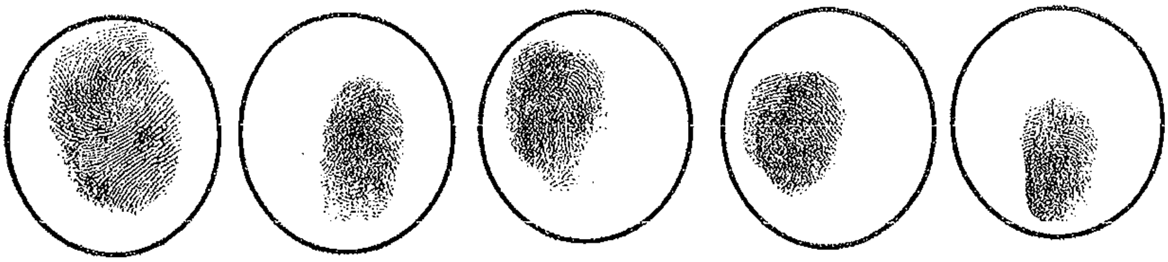

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

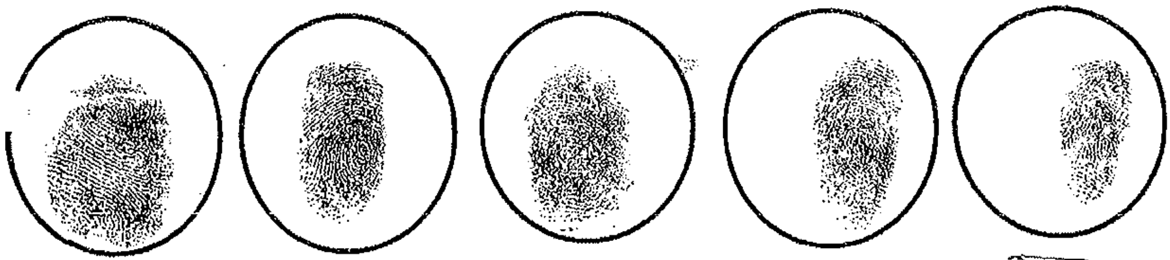

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता:–**श्रीमती गुरूदेई पत्नी स्व0 गुरूदयाल निवासी ग्राम– मिर्जापुर, मस्तेमऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

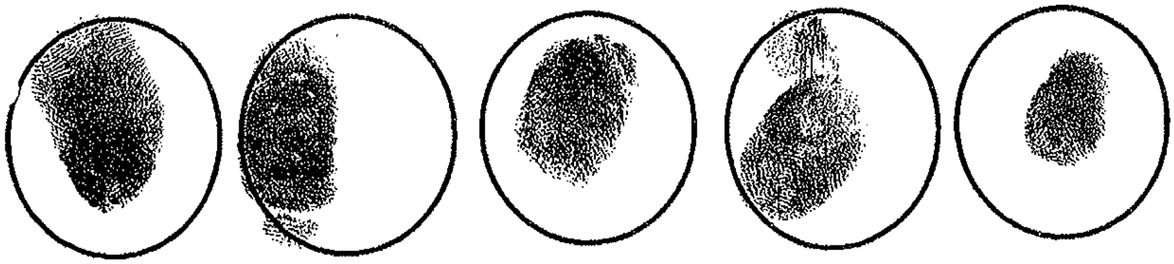

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

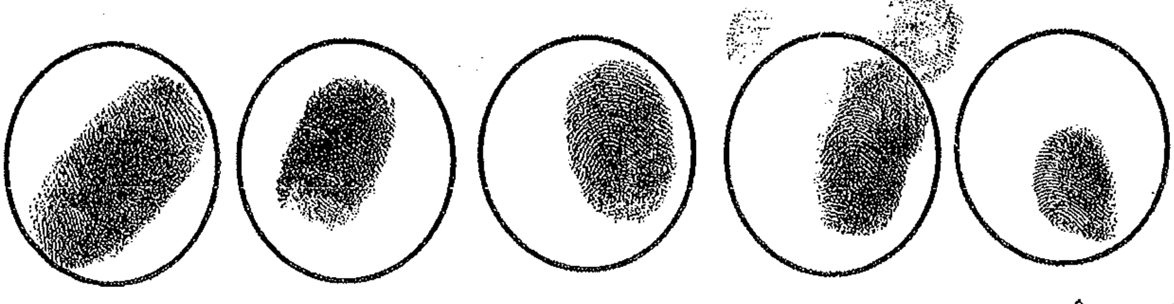

विक्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / क्रेता का नाम व पता:–प्रसिद्धि कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी0 के0 दीक्षित पुत्र स्व0 सी0 एस0 दीक्षित निवासी– बी–703, महानगर, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

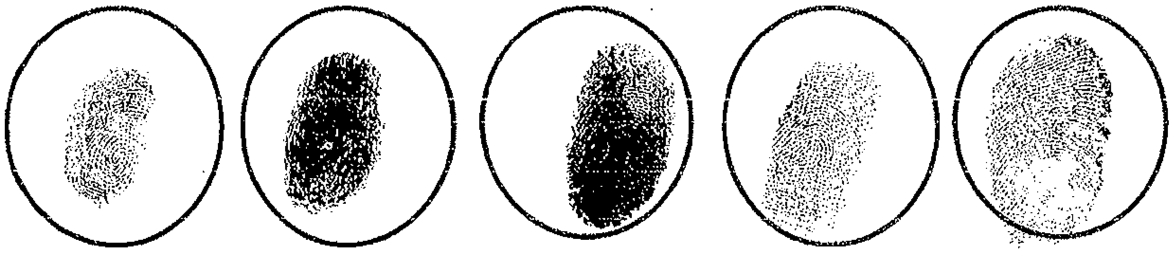

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

क्रेता के हस्ताक्षर

3/10/01

आज दिनांक .... 1 .... को फोटो स्टेट प्रति
.... 1900 .... को
पुस्तक संख्या ....
पृष्ठ .... 33/106 .... संख्या 3349/01
पर पंजीकृत किया गया।

उप निबन्धक मोहनलालगंज
लखनऊ